

**अत्यावश्यक**

**राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड**  
विद्युत भवन, ज्योति नगर, जयपुर

क्रमांक:साराविप्रिनि/वा.मू.प्र.पत्रा.4(ए)2/प्रे. 267

दिनांक 10-01-2017

मुख्य अभियंता ( )  
अतिरिक्त मुख्य अभियंता,  
मुख्य लेखानियंत्रक  
अधीक्षण अभियंता ( )  
राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड


**विषय :- अचल सम्पति विवरण प्रस्तुत करने बाबत।**

कार्मिक विभाग के पत्र क्रमांक प.13(76)का./क-1/गो.प्र./2011 जयपुर दिनांक 04 जनवरी 2017 के निर्देशानुसार सभी राजपत्रित अधिकारियों को प्रति वर्ष एक जनवरी की स्थिति में अचल सम्पति का विवरण किया जाना निर्देशित किया गया है।

जो राजपत्रित अधिकारी अपना अचल सम्पति विवरण प्रस्तुत नहीं करेगे उनकी विजिलेंस क्लीयरेंस नहीं दिये जाने, पदौन्नति पर विचार नहीं किये जाने एवं अचल सम्पति विवरण प्रस्तुत किये जाने के उपरांत ही आगामी वेतनवृद्धि स्वीकृत किये जाने हेतु भी निर्देशित किया गया है।

अतः समस्त राजपत्रित अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपना वर्ष 1 जनवरी की स्थिति में 2016(01.01.2017) की अचल सम्पति का विवरण प्रस्तुत करे।

इसकी पालना सुनिश्चित की जावे।

  
पुखराज सेन  
सचिव (प्रशासन)

वर्ष

(01 जनवरी..... को) के लिये प्रथम नियुक्ति के समय की स्थावर सम्पत्ति सहित सम्पूर्ण स्थावर सम्पत्ति का विवरण

1 अधिकारी का नाम तथा पद जिससे यह संबंधित है :-		3 किस सेवा संवर्ग से है :-	
2 वर्तमान में धारित पद :-		4 वर्तमान वेतन :-	5 जन्म तिथि :-

उस जिले उप-खण्ड तहसील तथा गांव का नाम जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्तियों का नाम तथा विवरण आवासीय तथा भूमी अन्य भवन	वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं की नहीं है तो बताएं कि वह किसके नाम से धारित है तथा उस सदस्य के साथ आपका क्या संबंध है	कैसे अर्जित की। यदि क्रय पट्टे द्वारा या बंधक उत्तराधिकार दान या अन्यथा रूप से अर्जित की गई है तो अर्जन की तारीख तथा नाम साथ ही उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण जिनसे अर्जित की गई है	सम्पति से आय (वार्षिक)	अभ्युक्ति

हस्ताक्षर .....

दिनांक .....

अति आवश्यक

राजस्थान सरकार  
कार्मिक (क-1/गो.प्र.) विभाग,

कमांक प. 13(76)का./क-1/गो.प्र./2011

जयपुर, दिनांक

34 JAN 2017

समस्त अति. मुख्य सचिव/ प्रमुख शासन सचिव/  
शासन सचिव/उप शासन सचिव,  
समस्त संभागीय आयुक्त,  
समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलक्टरों सहित)

विषय:- समस्त राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रतिवर्ष 1 जनवरी की स्थिति में  
2016 (01.01.2017) की अचल सम्पति विवरण प्रस्तुत करने बाबत।

महोदय,

आपका ध्यान इस विभाग द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र कमांक प. 13(76)कार्मिक/क-1/गो.प्र./2011 दिनांक 14.04.2011, 17.05.2011, 21.06.2012, 29.10.12, 08.04.2013, 20.11.13, 02.01.14, 25.06.14 एवं 13.01.16 की ओर आकर्षित करना चाहूंगा, जिसके द्वारा सभी राजपत्रित अधिकारियों को प्रतिवर्ष 1 जनवरी की स्थिति में अचल संपत्ति का विवरण प्रस्तुत किया जाने हेतु निर्देशित किया गया था। जो राजपत्रित अधिकारी अपना अचल सम्पति विवरण प्रस्तुत नहीं करेंगे उनकी विजिलेंस क्लीयरेंस नहीं दिये जाने, पदोन्नति पर विचार नहीं किये जाने एवं अचल सम्पति विवरण प्रस्तुत किये जाने के उपरांत ही आगामी वेतनवृद्धि स्वीकृत किये जाने हेतु भी निर्देशित किया गया था।

राज्य में कार्यरत समस्त राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रतिवर्ष 1 जनवरी की स्थिति में अचल सम्पति विवरण 31 जनवरी तक सम्बन्धित विभाग को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। अतः समस्त प्रशासनिक विभागों/विभागाध्यक्षों को पुनः निर्देशित किया जाता है कि जिन राजपत्रित अधिकारियों द्वारा अपना अचल सम्पति विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है उन्हें विजिलेंस क्लीयरेंस नहीं दी जाये। समस्त प्रशासनिक विभागों/विभागाध्यक्षों को यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि अचल सम्पति विवरण के अभाव में पदोन्नति एवं आगामी एक जुलाई को दी जाने वाली वेतन वृद्धि पर विचार नहीं किया जावे।

समस्त प्रशासनिक विभागों/विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया जाता है कि वे नोडल अधिकारियों को अचल सम्पति विवरण कार्मिक विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु निर्देशित करें।

इसकी पालना सुनिश्चित की जावे।

भवदीय,

(भास्कर ए. सावंत)  
शासन सचिव